[27/7/2017] परिशिष्ट-०३

विधान सभा प्रश्न क्र० 2634 तारांकित

प्रश्न सं. [क्र. 2634]

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 23/11/2016

क्रमांक एफ 19-65/2016/1/4, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित "नमामि देवि नर्मदे" नर्मदा सेवा यात्रा-2016 के संचालन हेतु निम्नानुसार विभागों को उनके नाम सम्मुख दर्शाये अनुसार कार्य सौंपे जाते हैं-

क्र.	विभाग का नाम	गतिविधि
1.	जनसंपर्क विभाग	"नमामि देवि नर्मदे" नर्मदा सेवा यात्रा-2016 की रूप रेखा के संबंध में मीडिया में प्रचार-प्रसार एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस।
		राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों/इलेक्ट्रानिक मीडिया को रूटचार्ट के अनुसार पृथक-पृथक सप्ताह हेतु विभिन्न पड़ावों के ~~लिये~~ आमंत्रण।
		प्रदेश के सभी संभाग एवं जिला मुख्यालयों पर होर्डिंग्स लगाना।
		संपूर्ण नर्मदा सेवा यात्रा की डाक्यूमेन्ट्री, प्रतिष्ठित संस्था से तैयार कराना।
2.	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	रूट चार्ट के अनुसार नर्मदा तटीय ग्रामों में फलदार पौधों का रोपण (वृक्षारोपण) सुनिश्चित कराना।
		प्रत्येक ग्राम में वृक्षारोपण के दौरान नदी संरक्षण, पर्यावरण एवं वृक्षों को सुरक्षित रखे जाने हेतु संकल्प पत्र तैयार करना।
3.	पर्यावरण विभाग	नर्मदा घाटों पर पर्यावरण एवं नदी के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने संबंधी स्थायी साईन बोर्ड लगाना।
4.	संस्कृति विभाग	रूट चार्ट के अनुसार नर्मदा तटीय नगरों/ग्रामों में सांस्कृतिक कार्यक्रम /नुक्कड नाटक का आयोजन कराना।
5.	लोक निर्माण विभाग	रूट चार्ट के अनुसार यात्रा मार्ग में सड़कों एवं पुलियों की मरम्मत कराना।
6.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	रूट चार्ट के अनुसार मण्डी बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों एवं पुलियों की मरम्मत कराना।
		यात्रा पड़ाव के दौरान कृषि विशेषज्ञों तथा कृषि वैज्ञानिको द्वारा जैविक खेती, नरवाई न जलाने, नदी स्वच्छता तथा पानी बचाओ विषयों पर व्याख्यानों का आयोजन।
7.	नगरीय विकास विभाग	नर्मदा तटीय नगरों/ आश्रमों से नर्मदा में मिलने वाली सीवर लाईन पर ट्रीटमेंन्ट प्लांट लगाने की कार्ययोजना।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

उमेश शर्मा
कार्यपालक निदेशक
म. प्र. जन अभियान परिषद

		नर्मदा घाटों के किनारे अस्थाई सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना।
		नगरीय क्षेत्रों मे नर्मदा के घाटों पर कचराएकत्रित करने की व्यवस्था करना।
		घाटों पर कपड़े, वाहन,पशुओं के नहलाने एवं स्नान में साबुन/डिटर्जेट के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध कर मॉनिटरिंग की व्यवस्था।
		ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन की व्यवस्था करना।
8.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	नर्मदा सेवा यात्रा मार्ग में आने वाले एवं नर्मदा किनारे के विकासखण्डों की 3338 ग्राम पंचायतों को खुले शौच से मुक्त।
		रूट चार्ट के अनुसार रात्रि विश्राम स्थलों पर एक साधक निवास, चेंजिंग रूम, शौचालय सहित निर्मित कराये जाये।
9.	वन विभाग	रूट चार्ट के अनुसार नर्मदा तटीय ग्रामों में भूमिका चिन्हांकन कर वृक्षारोपण कराया जाये।
10.	म.प्र. जन अभियान परिषद, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	रूट चार्ट का निर्धारण एवं "नमामि देवि नर्मदे" नर्मदा सेवा यात्रा-2016 का समन्वय।
		नर्मदा सेवा समितियों के गठन उपरांत यह समितियाँ जन अभियान परिषद् के मार्गदर्शन में पर्यावरण एवं नदी संरक्षण का कार्य कराना।

यात्रा प्रारंभ दिनांक 11 दिसम्बर, 2016 के पूर्व संबंधित विभाग यथा शीघ्र कार्यवाही प्रारंभ करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, दिनांक23/11/2016

उमेश शर्मा
कार्यपालक निदेशक
म. प्र. जन अभियान परिषद

क्रमांक एफ 19-65/2016/1/4

प्रतिलिपि

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव संबंधित विभाग।
2. अपर मुख्य सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित ।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.।
5. कार्यपालक निदेशक, म.प्र. जन अभियान परिषद्, भोपाल।
6. उप संचालक, जनसंपर्क, मंत्रालय, भोपाल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट- 'ब'

विधानसभा प्रश्न क्र. 2634, 2363, 1060, 1639, 2491, 978, 334, 1201, 1202, 3060

नमामि देवि नर्मदे यात्रा हेतु म.प्र. जन अभियान परिषद द्वारा व्यय की गई राशि

क्र.	जिला	राशि लाख रु में
1	अनूपपुर	160.09
2	बालाघाट	20.00
3	सिवनी	25.88
4	छिंदवाडा	10.00
5	नरसिंहपुर	76.10
6	सागर	20.00
7	रीवा	20.00
8	हरदा	26.03
9	अशोकनगर	6.00
10	दतिया	6.00
11	राजगढ	12.00
12	देवास	84.70
13	पन्ना	10.00
14	दमोह	9.00
15	इन्दौर	85.00
16	भोपाल	74.00
17	उज्जैन	34.00
18	सतना	21.00
19	सीधी	10.00
20	सिंगरौली	20.00
21	विदिशा	10.00
22	रायसेन	62.58
23	गुना	10.00
24	ग्वालियर	18.00
25	शिवपुरी	18.00
26	जबलपुर	121.45
27	टीकमगढ	10.00
28	छतरपुर	13.00
29	बैतूल	13.00
30	सीहोर	76.33
31	होशंगाबाद	53.23
32	डिण्डौरी	124.10
33	मण्डला	92.55
34	खण्डवा	40.33
35	खरगौन	35.53
36	बड़वानी	26.39
37	अलीराजपुर	20.44
38	धार	45.11
39	शहडोल	90.00
40	उमरिया	45.00
41	राज्य कार्यालय	105.15
42	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, अनूपपुर	20.72
43	लम्बित देयक (भुगतान प्रक्रिया में)	5.72
	योग	**1786.42**

17/7/17

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, भोपाल